बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं०:– 2/अ0प्र0–01–94/2024 2355 /पटना, दिनांक :– 30/08/2024

श्री जीवछ प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के संदर्भ में वॉयरल विडियो में श्री प्रसाद द्वारा अवैध रूप से पैसे का लेन–देन किया गया है। श्री प्रसाद का यह कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल एवं अशोभनीय है तथा इनकी सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध प्रतीत होती है। श्री प्रसाद का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के विरूद्ध है।

2. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री जीवछ प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 की सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. श्री प्रसाद के विरूद्व अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/8/24

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–94/2024 2355 /पटना, दिनांक :– 30/08/2024

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/24
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–94/2024 2355 /पटना, दिनांक :– 30/08/2024

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/24
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–94/2024 2355 /पटना, दिनांक :– 30/08/2024

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री जीवछ प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/24

विशेष सचिव